26/7/2017 पत्रावली पेश हुई | वकील उभय पक्ष उपस्थित

प्रतिवादी सं 3 केसु बाई की ओर से प्रा. प. 07R11 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत वाद में मौजा लक्ष्मीपुरा प०ह० कानेसन में विक्रेता राधेश्याम पिता नारायण तेली के खातेदारी में दर्ज आराजीयात थी कि प्रति. राधेश्याम ने वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व दिनांक 25-6-2010 को जरिये पंजीकृत बेचनामा आ.न. 113/1, 113/2, 114, 115, 116 कुल किता-5 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया उससे पूर्व ही विक्रेता ने उक्त भूमि आराजीयात को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है जो कि आराजीयात / प्रतिवादीगण पंजीकृत बेचनामे से खरीदशुदा

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

26.7.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

आराजीयात पर काबिज होकर उपभोग उपभोग करते चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में वादीगण पंजीकृत बयनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते है तब तक वादीगण को कृषि आराजीयात के संबंध में रा० का० अधि० 1955 की धारा 88 के तहत घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। पंजीकृत बयनामें को निरस्त करने जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जिससे वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाद बाधित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अत: प्रतिवादीगण का प्रा० प० स्वीकार फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा० प० के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया कि राधेश्याम द्वारा आराजी दि. 25/6/2010 का विक्रय किया जाना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पंजीकृत बयनामें को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराने का कथन पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि वादीगण का वाद पत्र खातेदारी घोषणा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के रूप में पैतृक सम्पत्ति में अपना बराबर हिस्सा साईर होने से खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया जो राजस्व न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है साथ ही वादीया को विक्रय पत्र निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वादिया स्वयं अपने वाद में यह कथन किया है कि विक्रय पत्र उसके हक व हिस्से तक प्रारंभ से शून्य है जिसे किसी न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि मा० न्यायालय द्वारा वादिया के मूल पुरुष नाथमल की उत्तराधिकारी मानते हुए [illegible] हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा [illegible] है तो उसकी पालना में [illegible] हिस्से तक का विक्रय पत्र स्वत: निरस्त हो जायेगा। प्रतिवादीगण द्वारा यह प्रा० प० केवल मात्र प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

26/7/17

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी ... जिला-चित्तौड़गढ़
Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गए। लायक अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रा0प0 07R11 में वर्णित तथ्यों का इआदा प्रतिवादी सं. 1 के वकील द्वारा बयान किया कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की जमाबन्दी खातेदारी की है। प्रकरण में जो दस्तावेज पेश किए गये हैं इसमें भी बेचान का इकरार है जिन्हें प्रति0 सं. 2 व 3 (क्रेता) को मुकदमा पक्षकार (मुलजिम) बनाया गया है अर्थात वादीगण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही आराजीयात का विक्रय होकर पंजीकरण कराया जा चुका है वादीगण की तारीख में मिली जी के पिता राधेश्याम खातेदार नहीं है उनके द्वारा अपना पुत्र से स्वातंत्र्य नहीं दिया जाकर हक हिस्सा अन्य को अन्तरित कर चुका है जिससे उनका स्वत्व समाप्त हो चुका है विवादित हिस्सा भूमि वादीगण का भी कोई हक नहीं रहता है अब विवादित आराजी आराजीयात में पैतृक सम्पत्ति होना बताकर राजस्व न्यायालय में हक अधिकार तय कराना चाहते हैं जहाँ तक रजिस्टर्ड लेन देन को खारीज द्वारा बाद में स्वीकार किया जाता है तो राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता समाप्त हो जाती है। वादीगण को पंजीकृत दस्तावेज सक्षम न्यायालय से निरस्त कराना अनिवार्य है।

अतः प्रा0 प0 स्वीकार करवाया जावे।

खण्डन में लायक अधिवक्ता वादी द्वारा बयान किया गया कि विवादित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण का उसमें जन्म से अधिकार निहित होने से घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को है जिसके लिए पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराना जरूरी नहीं है। बयान के समर्थन में RRT 2015 (1) पेज नं. 100 से 103 प्रस्तुत की गई ... का वाद लाने एवं प्रा.प. 07R11 पर ... में RRT 2015 (1) पेज नं0 ... पक्षकार के अधिकार सुरक्षित किए जाने हेतु RRT 2014 (1) पेज नं. 101 से 103 की नजीरें पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रा.प. 07R11 चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जावे।

26.7.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा अपना हक हिस्सा रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी क्र. 2 व 3 को अन्तरित किया जाकर विक्रय पत्र दि. 25/6/2010 को विधिक प्रक्रिया से पंजिबद्ध कराया गया है जो वाद प्रस्तुती पूर्व ही हक अधिकार अन्तरित किए जा चुके थे वादीगण प्रतिवादी क्र. 1 के कालिसान है जो वाद में भी इस तथ्य को स्वीकार कर चुके है कि पंजिकृत बहनामे से आराजी का अन्तरण हो चुका है प्रतिवादीगण का पंजीकृत बहनामे से क्रय की गई विवादित आराजीयात पर पजेशन है। वादीगण द्वारा पंजिकृत दस्तावेज को चुनौती नहीं दी जाकर घोषणा, निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो न्यायोचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि पंजिकृत दस्तावेज को निरस्ती का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादीगण चाहे तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है। प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर है तथा हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही खत्म कर समाप्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसला शुमार होकर नामल दफ्तर हो।

[signature]
26.7.17

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested